



शमन मानचित्रा नीति शिखर क्रमांक 181 पर दर्ज है

## वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002  
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranas@gmail.com

सेवा में,

श्री पार्थ मौर्या निदेशक, संगिनी कॉमर्स (प्रा0) लिमिटेड  
डेवलपर्स अनुबन्ध सिद्धी विनायक इन्फ्रा विलेज प्रा0लि0  
आराजी सं0-391/1, 397/1, 403/2, 404, 405/1,  
मौजा-बरईपुर, परगना-शिवपुर, तहसील-सदर,  
वार्ड-सारनाथ, जिला-वाराणसी। मो0नं0-8799468654

पत्रांक:- 165/22 ग्रुप हाउसिंग/शमन/वि0प्रा0/विन्यास/2024-25

दिनांक :- 13-12-24

विषय:- आराजी सं0-391/1, 397/1, 403/2, 404, 405/1, मौजा-बरईपुर, तहसील-सदर,  
परगना-शिवपुर, वार्ड-सारनाथ, जिला-वाराणसी पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग शमन मानचित्र के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें।  
आप द्वारा ग्रुप हाउसिंग निर्माण सम्बन्धी शमन/संशोधित (Revised) मानचित्र को, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा  
दिनांक 02.12.2023 को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है, जिसका  
अनुपालन आपको सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

1. यह स्वीकृति/अनुमति प्रस्तावित/संशोधित निर्माण हेतु दिनांक 02.12.2023 से पांच वर्ष तक वैध होगी।
2. टावर A/1 एवं टावर B/2 भवन पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तत्पश्चात अध्यासन आदि की कार्यवाही की जायेगी।
3. आपको स्थल पर 170 पेड़ लगाना होगा।
4. छत के 25 प्रतिशत भाग पर फोटो वोल्टाईक सोलर पैनल स्थापित करना होगा तथा पैसेज स्ट्रीट लाईट आदि में उपयोग करना होगा।
5. पी0एन0जी0 गैस हेतु पाईप लाईन का प्राविधान करना होगा और उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
6. प्रश्नगत समूह आवास पर शमन की गणना अनन्तिम है। पूर्णता प्रमाण पत्र के समय अन्तिम रूप से परीक्षणोपरान्त पर यदि देयता निकलती है तो आपको निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान करना होगा।
7. आपको E.C.B.C. 2019 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्थल पर संयंत्र स्थापित करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य आर्किटेक्ट की डिजाईन के अनुसार करना होगा तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग क्रियाशील होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. प्रस्तुत शपथ-पत्र के क्रम में प्रश्नगत समूह आवास के निर्माण से सम्बन्धित स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राइंग आई0आई0टी0/समकक्ष संस्थान के प्रोफेसर से सत्यापित कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ-पत्र के क्रम में स्थल पर आवासीय इकाई की संख्या में वृद्धि हो गयी है ऐसी स्थिति में सीवर लाइन से स्थल निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
11. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट को स्थापित करना होगा। डिजाईन व ड्राइंग की पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, तथा स्थल भी चिन्हित करना होगा।
12. रेरा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
13. भवन की ऊँचाई 30 मी0 से अधिक है ऐसी स्थिति में ओ0टी0एस0 में मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था स्थापित करना होगा।